

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान
खण्ड- 3 जयपुर शहर

कार्यालय आदेश

आवेदन क्रमांक: CM/PWD/2025-26/39206

दिनांक: 31-12-2025

राज्य सरकार के पंजीयन आदेश संख्या एफ.2(3)वित्त/व्यय-3/97 दिनांक 24.05.1999, संशोधित आदेश संख्या एफ.2(3)वित्त/व्यय-3/99 दिनांक 23.03.2001, आदेश संख्या एफ.2(4)/पी.डब्ल्यू.एफ.एंड.ए.आर./99 पार्ट 2 दिनांक 10.10.2017 एवं आदेश संख्या प.6(2)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.06.2024 की अनुपालना में फर्म का पंजीयन निम्नानुसार किया जाता है।

- | | |
|--|---|
| 1.1 फर्म का नाम | ROLLER INFRA |
| 1.2 संवेदक का नाम | SHIV KANT PACHORI |
| 2.1 फर्म का पूर्ण पता | , FLAT NO. 616, VARDHMAN SWAPNLOK, 200 FT BYPASS NANGAL CROSSING, JHOTWARA, JAIPUR, JAIPUR, Jaipur, Rajasthan |
| 2.2 ई-मेल एवं फोन नम्बर | SHIVKANTROLLERINFRA@GMAIL.COM & 9461750111 |
| 3. पंजीयन कोड | EE CITY DN III JAIPUR 428/2025-26 |
| 4. श्रेणी | D CIVILWORKS |
| 5. पंजीयन की स्थिति (स्थायी / अस्थायी) | TEMPORARY |
| 6. पुनर्विलोकन की दिनांक | 30-12-2026 |
| 7.1 फर्म का प्रकार | INDIVIDUAL FIRM |
| 7.2 प्रोप्राइटर / पार्टनर / डाइरेक्टर के नाम | SHIV KANT PACHORI |
| 7.3 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का नाम | SHIV KANT PACHORI |
| 8. निविदाओ के लिए योग्यता की सीमा | Upto Rs. 30.00 Lakhs |
| 9. तकनीकी कर्मचारी का नाम एवं योग्यता | ENGINEER ENGINEER, DIPLOMA,, |
| 10. पंजीयन धरोहर राशि का विवरण | F.D.R.NO- 301066689446, Date 03-12-2025, Amount-75000, Bank Name-INDUSLAND BANK |

नोट :- पंजीयन की शर्तें एवं नियम पृष्ठ 2 पर अंकित हैं, जिनकी पालना अनिवार्य है।



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान

खण्ड- 3 जयपुर शहर

नियम एवं शर्तें

1. ठेकेदार/फर्म को लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग-॥ के नियम 334 के परिशिष्ट 16 में वर्णित नियम/निर्देशों की पालना करना अनिवार्य है। किसी भी नियम/आदेश अथवा निर्देश जिनका कि आपके कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है, का आपने पालन नहीं किया तो नियमानुसार कार्यवाही कर आपका पंजीयन रद्द करने का अधिकार विभाग रखता है।
2. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग- ॥ के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन-7 के पैरा 2 के अनुसार ठेकेदारों के रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पचात् ठेकेदार स्वयं के द्वारा एवं विभागीय क्षेत्र अधिकारियों के द्वारा प्रदायित किये जाने वाले कार्य के आंकड़ों के आधार पर पुनर्विलोकन किया जायेगा। कोई ठेकेदार, जिसका कार्य-सम्पादन असन्तोषजनक पाया जाये, अपना रजिस्ट्रीकरण रद्द कराने और अपना नाम रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों की सूची से नाम कटवाने के दायित्वाधीन होगा।
3. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग -॥ के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन-1 के पैरा 17 के अनुसार ठेकेदार/फर्म से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा की जायेगी कि वे एक से अधिक नामों से स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं करायेंगे।
4. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग-॥ के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन-1 के पैरा 22 के अनुसार ठेकेदार/फर्म सूचीबद्धकरण प्राधिकारी को पूर्व सूचना दिये बिना कोई नई भागीदारी नहीं करेगा। ऐसे प्रस्ताव, यदि कोई हो, अग्रिम रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे जिनमें आयित भागीदारी/एकल प्रोप्राइटी, ऐसे भागीदारों के निवृत्ति विलेख सहित भागीदारी विलेख/पथ पत्र के प्रारूप में पूरे ब्योरे दिये जायेंगे। इससे किसी भी प्रकार से हटाना ठेकेदार/फर्म को सूचीबद्धकरण प्राधिकारी के ठेकेदारों के रजिस्टर से हटाये जाने का भागी बनायेगा।
5. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग-॥ के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन-1 के पैरा 23 के अनुसार ठेकेदार/फर्म सूचीबद्ध किये जाने के समय के तथ्यों के किसी भी परिवर्तन के बारे में एक माह के भीतर सम्बन्धित सूचीबद्धकरण प्राधिकारी को सूचित करेंगे। समय पर सूचना नहीं भेजने की दा में यदि किसी भी परिवर्तन का तथ्य किसी भी अन्य स्रोत से सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में आता है तो सूचीबद्धकरण निलम्बित/रद्द किये जाने का दायित्वाधीन होगा।
6. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग-॥ के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन-1 के पैरा 3 एवं पैरा 29 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को परिचय पत्र एवं कार्य सम्बन्धी पासबुक, एवं कोड नं. विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, निर्धारित पासबुक में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अधिकारियों से नियमित रूप से इन्द्राज/प्रविष्टि करानी आवश्यक होगी।
7. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग-॥ के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन-1 के पैरा 16 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह के अन्त में सेवा एवं वस्तु कर अधिकारी का कर निर्धारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. यह पंजीयन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पंजीयन नियमों व संोधनों के अध्यधीन होगा।
9. यह आदेश संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात् जारी किया गया है।